



2026:AHC:163608

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 27132 / 2026

बबनी देवी

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विरोधी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता	:	राजेश कुमार बिंद, विनोद कुमार बिंद
विरोधी पक्ष(गण) के अधिवक्ता	:	जी.ए.

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार बिंद और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री विजय बहादुर मौर्य को सुना।
2. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 50/2026 अंतर्गत धारा 103(1), 238 बी.एन.एस., पुलिस स्टेशन - झूँसी, जिला - प्रयागराज में विचारण लंबित के दौरान जमानत प्रदान करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि हालांकि आवेदक का नाम सह-अभियुक्त पप्पू बिंद के साथ एफआईआर में दर्ज है और एफआईआर के अनुसार उसने अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर मृतक की हत्या की थी, किन्तु सूचनादाता प्रत्यक्षदर्शी नहीं था।
4. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि सभी तथ्यों पर विस्तार से विचार करने के बाद सह-अभियुक्त पप्पू बिंद को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 23701/2026 में पारित आदेश दिनांक 22.07.2026 के अंतर्गत जमानत पर रिहा कर दिया गया है और आवेदक का मामला उससे बेहतर स्थिति में है क्योंकि आवेदक एक महिला है।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह 17.02.2026 से अर्थात् पिछले पांच माह से अधिक समय से जेल/कारागार में है।
6. इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तथ्यात्मक तर्कों का खंडन नहीं कर सके।
7. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और मामले के अभिलेखों का परिशीलन किया।
8. हालांकि, एफआईआर के अनुसार, आवेदक ने अन्य लोगों के साथ मिलकर सूचनादाता के बेटे की हत्या की, किन्तु यह स्वीकार किया जाता है कि मामले का सूचनादाता चश्मदीद साक्षी नहीं था।
9. इसके अतिरिक्त, विवेचना के दौरान यह पता चला कि विवेचना अधिकारी ने दो प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए थे, जिन्होंने कहा था कि उन्होंने आवेदक और एक अन्य अभियुक्त को तड़के मृतक के शव को फेंकते हुए देखा था, किन्तु इन दोनों साक्षियों के बयान एक माह बाद दर्ज किए गए थे और इन दो साक्षियों के अतिरिक्त कोई अन्य प्रत्यक्षदर्शी बयान नहीं है।
10. इसके अतिरिक्त, एक विस्तृत आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सह-अभियुक्त पप्पू बिंद को जमानत पर रिहा कर दिया गया है और आवेदक का मामला उससे बेहतर स्थिति में है क्योंकि आवेदक महिला है। साथ ही, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह वर्तमान मामले में 17.02.2026 से अर्थात् पिछले पांच माह से अधिक समय से जेल/कारागार में है।
11. अतः, ऊपर चर्चा किए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, आवेदक जमानत पर रिहा होने की पात्र है।
12. तदनुसार, मामले के गुण-दोषों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



13. उपर्युक्त मामले में संलिप्त आवेदक - **बबनी देवी** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये :-

(i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगी, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगी जिससे कि वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से विमुख हो जाए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ कर सके।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक एवं असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगी।

14. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत निरस्त करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

15. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोषों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

अगस्त 5, 2026

शाहरोज

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।